राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 100/2021

लालाराम पुत्र शंकर राम आयु 68 वर्ष जाति नायक निवासी वार्ड नं. 04, गोटाघर हनुमानगढ़ी के पीछे, खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज.

.... प्रार्थी

ब–ना–म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज)

.........अप्रार्थी

प्रार्थन पत्र – नाम दुरूस्ती

निर्णय **दिनांक 17–09–2021**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम टीलावाली स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2074 लगायत 2077 के खाता संख्या 55 में प्रार्थी का नाम लालचन्द पुत्र शंकर के स्थान पर लाला राम पुत्र शंकर राम तथा ग्राम टीलावाली स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2074 लगायत 2077 के खाता संख्या 142 में प्रार्थी का नाम लाला पुत्र शंकर के स्थान पर लाला राम पुत्र शंकर राम दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खेतड़ी से प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार खेतड़ी से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किया जाना उचित है।

प्रार्थीया की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2074–77 खाता सं. 55, 142 ग्राम टीलावाली पेश की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं प्रार्थना पत्र के अभिवचनों तथा जांच रिपोर्ट तहसीलदार खेतड़ी का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। राजस्व ग्राम टीलावाली स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2074 लगायत 2077 के खाता संख्या 55 में प्रार्थी का नाम लालचन्द पुत्र शंकर के स्थान पर लाला राम पुत्र शंकर राम तथा ग्राम टीलावाली स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2074 लगायत 2077 के खाता संख्या 142 में प्रार्थी का नाम लाला पुत्र शंकर के स्थान पर लाला राम पुत्र शंकर रामदुरूस्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। यदि उक्त भूमि रहन हो तो भूमि रहन मुक्त होने के उपरान्त ही निर्णय की पालना की जावे।

आदेश

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया ... राजस्व ग्राम टीलावाली स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2074 लगायत 2077 के खाता ... में प्रार्थी का नाम लालचन्द पुत्र शंकर के स्थान पर लाला राम पुत्र शंकर राम ... टीलावाली स्थित भूमि जमाबन्दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2021.09.30 15:05:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

सम्वत् 2074 लगायत 2077 के खाता संख्या 142 में प्रार्थी का नाम लाला पुत्र शंकर के स्थान पर लाला राम पुत्र शंकर राम दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार खेतड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17–09–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2021.09.30 15:05:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner